न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं. 1, मऊ

उपस्थित : बाकर शमीम रिज़वी (उच्चतर न्यायिक सेवा)

न्यायिक अधिकारी कोड़ नं. UP6398

UPMA010015742015

सत्र परीक्षण संख्याः– 288/2015

******

राज्य

बनाम

1. लालचन्द यादव पुत्र पलकधारी यादव,
2. संजय यादव पुत्र सकल यादव,
निवासीगण–मखुनी, थाना–रानीपुर, जनपद–मऊ।
3. नन्दा यादव पुत्र रामअवध यादव,
4. नागा यादव पुत्र रामअवध यादव,
निवासीगण– ताहिरपुर, थाना–रानीपुर, जनपद– मऊ।
अन्तर्गत धारा–323/34, 308/34, 342, 328 भा०दं०सं०
मुकदमा अपराध सं०– 395/2005
थाना– रानीपुर, जिला मऊ।

निर्णय

1) प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण में अभियुक्तगण **लालचन्द यादव, संजय यादव, नन्दा यादव व नागा यादव** के विरूद्ध थाना रानीपुर, जिला मऊ की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 395/2005 अन्तर्गत धारा 323/34, 308/34, 342, 328 भा०दं०सं० के मामले में आरोप पत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किये जाने पर तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान लेते हुये उक्त मामले को सत्र परीक्षणीय होने के नाते दिनांक 10.11.2015 को सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया।

2) अभियोजन का संक्षेप में कथन है कि प्रार्थी रविन्द्र उर्फ बिन्दा पुत्र शितलू यादव साकिन चकदेवा थाना रानीपुर जनपद मऊ का रहने वाला हूँ। दिनांक 21.02.2005 को मैं खुरहट गया था। खुरहट बाजार में मुझसे ग्राम प्रधान लालचन्द तथा नागा मिले। उनके साथ नन्दा भी था। मुझे समय करीब 16.30 बजे पकड़ लिये और कहे कि तुम हमारी भैस चुराये हो। मुझे अपनी गाड़ी पर बैठाकर अपने गांव मखुनी ले गये तथा मुझे नन्दा, नागा, लालचन्द व संजय मिलकर लात–मुक्का से मारे, जिससे मुझे काफी चोटें आ गयी। मुझसे बार–बार यही कह रहे थे कि हमारी भैस कहाँ है। मुझे बांधे रहे तथा अपने गांव के पश्चिम तरफ बांध कर बाग में उलट कर रखे थे। मुझे काफी गम्भीर चोटें आयी है। जब पुलिस गयी तो लोग पुलिस को देखकर भाग गये।

Digitally signed by BAQUAR SHAMIM RIZVI
Date: 2026.08.01 10:32:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Mau

3) उक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना रानीपुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या 395/2005, अन्तर्गत धारा 323/34,308/34,342,328 भा०दं०सं० बनाम लालचन्द आदि दर्ज हुयी, जिसका खुलासा रोजनामचा आम में किया गया और घटना विवेचना संबन्धित विवेचक द्वारा सम्पन्न की गयी तथा दौरान विवेचना उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण नक्शा नजरी अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया। तत्पश्चात समस्त पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण **लालचन्द यादव, संजय यादव, नन्दा यादव व नागा यादव** के विरूद्ध आरोप पत्र मुकदमा अपराध सं० 395/2005, अन्तर्गत धारा 323/34,308/34,342,328 भा०दं०सं० न्यायालय में प्रेषित किया।

4) अपर सत्र न्यायालय, कक्ष संख्या 1, मऊ द्वारा दिनांक 18.12.2015 को अभियुक्तगण **लालचन्द यादव, संजय यादव, नन्दा यादव व नागा यादव** के विरूद्ध भा०दं०सं० की धारा 323/34,308/34,342,328 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

5) साक्ष्य के स्तर पर अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्षी के रूप में निम्न को परीक्षित कराया गया है। इसके अलावा अन्य कोई मौखिक साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है।

पी० डब्लू–1	महेन्द्र यादव उर्फ मुन्ना
पी० डब्लू–2	निखिद्दी प्रसाद शास्त्री
पी० डब्लू–3	आशा
पी० डब्लू–4	सेवानिवृत्त डा० विनोद यादव

6) अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है।

प्रदर्श क–1	हस्तलिखित तहरीर
प्रदर्श क–2	कायमी जी०डी०
प्रदर्श क–1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
प्रदर्श क–1	मेडिकल मुआयना

7) प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323/34,308/34,342,328 भा०दं०सं० का आरोप विरचित किया गया है।

8) अभियोजन के अनुसार अभियुक्तगण पर आरोप है कि दिनांक 21.02.2005 को समय 16.30 बजे बहद ग्राम खुरहट बाजार मखुनी के पास, थाना रानीपुर, जनपद मऊ में आप लोगों ने वादी मुकदमा रविन्द्र यादव को बन्धक बनाकर बाग में उलट कर लात–मुक्का से मार–पीट गम्भीर चोटें पहुँचायी तथा एक गिलास पानी में कुछ जहरिला पदार्थ मिलाकर पिला

दिया जिससे उनकी मृत्यु हो सकती थी।

<u>अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित साक्षीगण</u>

9) **अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षी पी० डब्लू–1 महेन्द्र यादव उर्फ मुन्ना ने न्यायालय में दिये अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि,** "अभियुक्तगण लालचन्द यादव, संजय यादव, नन्दा यादव व नागा यादव को मैं नहीं जानता हूँ। यह लोग कहा के रहने वाले है मुझे नहीं पता है। वादी मुकदमा रविन्द्र उर्फ बिन्दा मेरा सगा भाई है। यह घर पर बहुत कम रहता था। विगत दस वर्षो से उसका अता–पता नहीं चल रहा है। वज जिन्दा है या उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसके बाबत् मुझे व मेरे परिवार को आज की तिथि में कोई जानकारी नहीं है। अभियुक्त लालचन्द यादव, नागा यादव, नन्दा यादव व संजय यादव नें मिलकर दिनांक 21.02.2005 को मेरे भाई को मोटरसाइकिल पर बैठाकर मु०बाद की ओर ले गये थे इसकी मुझे जानकारी नहीं है। दिनांक 21.02.2005 को मैं अपनी बहन आशा देवी व माता फूलमति देवी के साथ सामा यादव साकिन मखुनी थाना रानीपुर के बाग में नहीं गया था और न ही मेरे सामने उपरोक्त मुल्जिमान मेरे भाई रविन्द्र उर्फ बिन्दा यादव को बांधकर जमीन पर उलट कर लाठी–डण्डे से मारे–पीटे थे। मेरे भाई को मारने–पीटने वाली घटना मेरे सामने नहीं हुई थी। मेरे भाई रविन्द्र उर्फ बिन्दा को लालचन्द यादव मारते–पीटते व घसीटकर बाग से अपने घर नहीं लाये थे। इन मुल्जिमानों ने मेरे भाई को मार–पीट कर कोई जहरिला पदार्थ नहीं पिलाया था। मेरा भाई रविन्द्र कक्षा पांच तक पढ़ा था। पत्रावली में शामिल तहरीर कागज सं० 4क/2 गवाह को दिखाया तो उसपर बने रविन्द्र के हस्ताक्षर की पहचान किया जिसपर प्रदर्श क–1 डाला गया। इस तहरीर वह किससे लिखवाया व क्या लिखवाया मुझको कोई जानकारी नहीं है। "

10) साक्षी पी०डब्लू–1 महेन्द्र यादव उर्फ मुन्ना ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है।

11) उपरोक्त साक्षी द्वारा अभियोजन पक्ष का समर्थन न किये जाने के कारण अभियोजन पक्ष द्वारा इस साक्षी को **पक्षद्रोही** घोषित किया गया तथा न्यायालय से जिरह की अनुमति चाही गयी।

12) इस साक्षी द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में अपनी मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों का समर्थन करते हुए अभियुक्तगण द्वारा घटना ना किये जाने का कथन किया गया है तथा अपने बयान अंतर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. से इंकार किया गया है।

13) **अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी० डब्लू–2 निखिद्वी प्रसाद शास्त्री ने न्यायालय में दिये अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि,** "दिनांक 21.02.2005 को मैं थाना रानीपुर, जनपद मऊ में तैनात था। उस दिन थाना कार्यालय पर आकर मुकदमा वादी एक हस्तलिखित तहरीर दिया जिसके आधार पर मैंने मु०अ०सं० 395/2005 धारा 342,323 भा०दं०सं० बनाम लालचन्द प्रधान चिक सं० 10/2005 अपने लेख व हस्ताक्षर में किता किया। वह चिक शामिल पत्रावली कागज सं० 4क/1 है जिसकी मैं

पहचान करता हूँ, जिसपर प्रदर्श क–2 अंकित किया गया। उक्त चिक का इन्द्राज मैंने उसी दिन किया था। वह रपट की कार्बन प्रति शामिल पत्रावली सं० 6क/2 के रूप में है। जिसकी मैं सत्यापन करता हूँ। इस पर प्रदर्श क–3 डाला गया।"

14) **अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी० डब्लू–2 निखिद्दी प्रसाद शास्त्री ने न्यायालय में अपनी प्रति परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि,** "उक्त तहरीर मजरूब ने स्वयं लिख कर दिया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन तत्काल लिख दिया गया था। यह कहना गलत है कि मैं के पीछे (ऐन्टी डेटेड) प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी थी।"

15) **अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षी पी० डब्लू–3 आशा ने न्यायालय में दिये अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि,** "इस मामले का चोटहिल रविन्द्र उर्फ बिन्दा मेरा सगा बड़ा भाई है। मेरी शादी हो चुकी है। शादी को बीस वर्ष से ज्यादा हो चुका है। वह जिन्दा है या मर चुका है इस बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। जिस समय कि यह घटना बतायी जा रही है। लगभग 17–18 वर्ष हो चुके होंगे। उस समय मैं अपने ससुराल में रह रही थी। मेरे भाई ने कही झगड़ा किया था जिसमें उसे चोट लग गयी थी और उसका इलाज बनारस भी हुआ था। घटना के बाद से ही वह कही गायब हो गया। मैंने अभियुक्तगण लालचन्द, नागा, संजय व नन्दा को अपने भाई रविन्द्र को बांध कर मारते हुए नहीं देखा था न ही उन लोगों ने उसे मारते व घसीटते हुए अपने घर ले गये थे और न ही उन लोगों ने मेरे भाई को जहरिला पदार्थ ही खिलाया था। मैंने घटना अपनी आँखो से नहीं देखा था। दरोगा जी ने मेरा बयान नहीं लिया था।"

16) साक्षी पी०डब्लू–3 आशा ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है।

17) उपरोक्त साक्षी द्वारा अभियोजन पक्ष का समर्थन न किये जाने के कारण अभियोजन पक्ष द्वारा इस साक्षी को **पक्षद्रोही** घोषित किया गया तथा न्यायालय से जिरह की अनुमति चाही गयी।

18) इस साक्षी द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में अपनी मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों का समर्थन करते हुए अभियुक्तगण द्वारा घटना ना किये जाने का कथन किया गया है तथा अपने बयान अंतर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. से इंकार किया गया है।

19) **अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी० डब्लू–4 सेवानिवृत्त डा० विनोद यादव ने न्यायालय में दिये अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि,** "दिनांक 21.02.2005 को मैं बतौर चिकित्साधिकारी जिला चिकित्सालय में तैनात था। उसी दिन थाना रानीपुर द्वारा मजरूब रविन्द्र उर्फ बिन्दा पुत्र सितलू निवासी चकरदेवा थाना रानीपुर जनपद मऊ को मेडकिल मुआयना हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया था। जिसे लेकर हेड का० रामनरेश यादव व सुरेश तिवारी आये थे, जिसका मेडिकल मुआयना रात दस बजे मेरे द्वारा किया गया था। पहचान चिन्ह के रूप में सीने के बीच के काले तिल का निशान अंकित किया गया था। परीक्षण के समय उसकी सामान्य स्थिति खराब थी। पल्स रेट 80 पर मिनट

थी। बी०पी० 110/70 थी। आँख की पुतलिया फैल गयी थी और सीने में दोनो फेफड़े में पानी भर गया था। पेट व हार्ट ठीक था। दिमागी रूप से कन्फ्यूजन व ड्राउजी था। उसे दिमाग में अन्दरूनी चोटें नहीं थी। मेरी राय में उसने कुछ जहरीले पदार्थ के सेवन की स्थिति थी। मेरे द्वार मेडिकल मुआयना प्रपत्र पर निशानी अंगूठा लिया गया था। साक्षी ने कागज सं० 7 क/1 को देखकर कहा कि यही मेडिकल मुआयना प्रपत्र मेरे द्वारा अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया गया था। जिसे मैं तस्दीक करता हूँ। जिसपर प्रदर्श क–4 डाला गया।"

20) **अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी० डब्लू–4 सेवानिवृत्त डा० विनोद यादव ने न्यायालय में अपनी प्रति परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि,** "जो चोटहिल की चिकित्सा परीक्षण के समय स्थिति थी और जो उसके लक्षण थे उसके आधार पर वह जहरीला पदार्थ खाये हुए था। इसी वजह से उसकी सामान्य स्थिति बेहोशी की थी और उसकी आँख की पुतली फैली हुई थी। जो जहरीले पदार्थ के सेवन से था। उसकी स्थिति को देखते हुए दिनांक 25.02.2005 को बी०एच०यू० वाराणसी अग्रिम इलाज के लिए भेज दिया गया। अधिक भांग व शराब पीने से चोटहिल की उपरोक्त स्थिति हो सकती है।"

21) विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) **श्री नन्दलाल भारती** व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के मौखिक बहस को विस्तार से सुना एवं अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की तरफ से प्रस्तुत तर्क व संलग्न सुसंगत प्रपत्रों तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का गहनता से अवलोकन किया।

22) प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध अधिरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 323/34, 308/34, 342, 328 भा०दं०सं० को संन्देह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर निर्भर है।

23) अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण पर आरोप है कि दिनांक 21.02.2005 को समय 16.30 बजे बहद ग्राम खुरहट बाजार मखुनी के पास, थाना रानीपुर, जनपद मऊ में आप लोगों ने वादी मुकदमा रविन्द्र यादव को बन्धक बनाकर बाग में उलट कर लात–मुक्का से मार–पीट गम्भीर चोटें पहुँचायी तथा एक गिलास पानी में कुछ जहरिला पदार्थ मिलाकर पिला दिया जिससे उनकी मृत्यु हो सकती थी।

24) प्रस्तुत सत्र परीक्षण को अभियोजन द्वारा साबित करने के उद्देश्य से कुल 4 साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है।

25) आपराधिक मामले में अभियोजन कथन को सिद्ध करने का भार अभियोजन पक्ष का होता है।

26) विधि निर्णय **उड़ीसा राज्य प्रति बनबिहारी महापात्र व एक अन्य, 2022(1) जे.आई.सी. रिपोर्ट्स 274(एस.सी.)(द्विभाषी)** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि अभियुक्तगण को निर्दोष होने की उपधारणा की जाती है जब तक वह युक्तयुक्ति संदेह से परे दोषी साबित नही किया जाता।

27) विधि निर्णय **नासिर शैलेन्द्र शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2005 एस. ए. आर.**

(क्रिमिनल) 489 में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि अपराध विधि का मूलभूत सिद्वान्त है कि अभियोजन पक्ष को अपना मामला युक्तियुक्त सन्देह से परे सिद्ध करना होता है, जबकि बचाव पक्ष को अपने मामले में सम्भाव्यता मात्र दर्शित करना होता है और जो बचाव लिया जाता है, उसके सम्बंध में अभिलेख पर कुछ तथ्य होने चाहिये, जो अभियोजन साक्षीगण को दिये गये सुझाव के रुप में भी हो सकता है।

28) विधि निर्णय **दौलत राम बनाम पंजाब राय 1997 (34) ए.सी.सी. पृष्ठ 839** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि अभियोजन पक्ष को अपना मामला अपने साक्ष्य के आधार पर संदेह से परे सिद्ध करना होगा, उसे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। अभियोजन पक्ष बचाव पक्ष की कमियों का लाभ नहीं ले सकता है।

29) विधि निर्णय **धनपाल बनाम राज्य 2009 (69) ए.सी.सी. पृष्ठ 697** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि आपराधिक विचारण में यह दायित्व अभियोजन पक्ष का है कि वह अपना कथन सिद्ध करे तथा यह न्यायालय का दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करें, जैसा अभियोजन कथन है, उसी प्रकार से सिद्ध किया जाये। साथ ही किसी प्रकार के अभिवृद्धि की अनुमति नहीं दी जा सकती।

30) इस प्रकार उक्त विधिक दृष्टांतों के आलोक में प्रस्तुत मामले अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों पर गहनतापूर्वक विचार किया जाना है।

बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क

31) बचाव पक्ष के तरफ से सर्वप्रथम यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामले में परीक्षित तथ्यगत साक्षियों ने घटना को कारित करते हुए नही देखा है बल्कि अभियुक्तगण को जानबूझकर साजिश व रंजिश के अंतर्गत नामित किया है। अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षियों ने अभियुक्तगण का इस अपराध में संलिप्तता के संबन्ध में लेश मात्र भी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है, जिसके नाते अभियुक्तगण उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 323/34, 308/34, 342, 328 भा०दं०सं० से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क

32) अभियोजन द्वारा उक्त तर्क का घोर विरोध किया गया है और कथन किया है कि अभियुक्तगण द्वारा मिलकर एक राय होकर तथाकथित घटना तिथि व समय पर वादी मुकदमा रविन्द्र यादव को बन्धक बनाकर बाग में उलट कर लात–मुक्का से मार–पीट गम्भीर चोटें पहुँचायी तथा एक गिलास पानी में कुछ जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया जिससे उनकी मृत्यु हो सकती थी, जिसके फलस्वरूप अभियुक्तगण द्वारा किया गया अपराध तथ्यगत साक्षीगण के साक्ष्य से साबित है, जिसके नाते उसे धारा 323/34, 308/34, 342, 328 भा०दं०सं० के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत होगा।

साक्ष्य का मूल्यांकन/विश्लेषण

33) अब पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का सूक्ष्मता से परिशीलन

किया जाना समीचीन होगा।

34) ऐसी स्थिति में अभियोजन को अभियुक्तगण के विरूद्ध अधिरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 323/34, 308/34, 342, 328 भा०दं०सं० के अपराध को संदेह से परे सिद्ध किया जाना है।

35) अभियोजन के अनुसार अभियुक्तगण पर आरोप है कि दिनांक 21.02.2005 को समय 16.30 बजे बहद ग्राम खुरहट बाजार मखुनी के पास, थाना रानीपुर, जनपद मऊ में आप लोगों ने वादी मुकदमा रविन्द्र यादव को बन्धक बनाकर बाग में उलट कर लात–मुक्का से मार–पीट कर गम्भीर चोटें पहुँचायी तथा एक गिलास पानी में कुछ जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया जिससे उनकी मृत्यु हो सकती थी। अतः अभियुक्तगण पर धारा 323/34, 308/ 34, 342, 328 भा०दं०सं० का आरोप है।

36) बचाव पक्ष के तरफ से सर्वप्रथम यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण को असत्य आधारों पर गलत रूप से इस सत्र परीक्षण में आरोपित किया गया है और उनके विरूद्ध अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से उसकी पुष्टि नही होती है, जिसके फलस्वरूप वे इस प्रकरण से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

37) अभियोजन द्वारा इस तर्क का प्रखर विरोध किया गया है।

38) यहा पर यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन की ओर से तथ्यगत साक्षी के रूप में पी०डब्लू–1 महेन्द्र यादव उर्फ मुन्ना व पी०डब्ल–3 आशा ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा दौरान प्रति परीक्षा भी सभी साक्षियों ने अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किये जाने के तथ्य से इंकार किया है। साक्षीगण ने अपने बयान अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० से इंकार करते हुए कथन किया है कि अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित नहीं की गयी है। इस स्तर पर अभियोजन द्वारा साक्षी को **पक्षद्रोही** घोषित किया गया।

39) पत्रावली पर चुटहिल साक्षी रविन्द्र यादव उर्फ बिन्दा की इन्जरी रिपोर्ट उपलब्ध है, परंतु उपर्युक्त साक्षियों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि तथाकथित घटना में उसे चोटें आयी थी, जो चिकित्सकीय परीक्षण से साबित है, परन्तु इस प्रकरण के परीक्षित साक्षीगण ने अपने साक्ष्यों में समेकित रूप से यह साक्ष्य दिया है कि घटित घटना अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कारित की गयी है। घटना में आरोपित अभियुक्तगण को साक्षीगण ने अपने साक्ष्यों में पहचानने से इंकार किया है।

40) अतएव अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समग्र साक्ष्यों के गहन अधिमूल्यन से स्थापित है कि इस प्रकरण के समस्त तथ्यगत साक्षियों ने घटना के सबन्ध में रंच मात्र भी कोई प्रकाश नही डाला है तथा अभियोजन कथानक का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार अभियोजन ने अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323/34, 308/34, 342, 328 भा०दं०सं० के अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सर्वथा असफल रहा है।

41) इस निमित्त विधि निर्णय **मथुरा प्रसाद व अन्य बनाम स्टेट आफ एम.पी.ए.आई.आर.**

1992 एस.सी. 49 के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया हे कि यदि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे साबित करने मे असफल रहता है तो अभियुक्तगण दोषमुक्ति का हकदार होगा।

42) अतएव उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह स्थापित है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323/34, 308/34, 342, 328 भा०दं०सं० का अपराध संदेह से परे साक्ष्य के अभाव में साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण **लालचन्द यादव, नन्दा यादव, संजय यादव व नागा यादव** को मुकदमा अपराध सं० 395/2005, अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323/34, 308/34, 342, 328, थाना रानीपुर, जिला मऊ के अपराध से **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्तगण इस प्रकरण में जमानत पर है। अतः उसका स्वबंध–पत्र व प्रतिभूगण निरस्त किया जाता है तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण प्रत्येक के द्वारा धारा 437ए दं.प्र.सं के प्राविधानों के अनुपालन में मु० 20,000–20,000/–रू (**बीस हजार रूपये**) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी धनराशि के **दो–दो प्रतिभू** इस आशय का अंदर सप्ताह प्रस्तुत किया जाये कि यदि इस आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील की जाती है एवं उन्हें आहूत किया जाता है तो वे वहां उपस्थित होंगे। यह बन्धपत्र इस निर्णय की तिथि से छः माह की समयावधि तक प्रभावी रहेगा।

[बाकर शमीम रिजवी]
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं. 1 जनपद–मऊ।

दिनांक– 31.07.2026

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित होकर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

[बाकर शमीम रिजवी]
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं. 1 जनपद–मऊ।

दिनांक– 31.07.2026